न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2022/604

1. अमर सिंह पुत्र श्री सूरजभान
2. राधेश्याम पुत्र श्री सूरजभान समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम मोहनपुरा, जोधपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर राज०।

–अपीलांट्स

बनाम

1. महावीर यादव पुत्र श्री मोहरली पत्नि श्री बोबडराम पुत्री पार्वती उर्फ पारली जाति अहीर निवासी ग्राम सानोली, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर हाल निवासी वार्ड नम्बर–16, इन्द्रा कॉलोनी, बहरोड, जिला अलवर राजस्थान ।
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान।
3. रमेश पुत्र श्री मोहरली पत्नि श्री बोबडराम पुत्री पार्वती उर्फ पारली।
4. सुमन देवी पुत्री श्री मोहरली पत्नि श्री बोबडराम पुत्री पार्वती उर्फ पारली।
5. ओमप्रकाश पुत्र सूरजी
6. सुरजीत पुत्र सूरजी
7. सुभाष पुत्र सूरजी
8. बसन्त पत्नि दयानन्द पुत्र सूरजी
9. अमित पुत्र दयानन्द पुत्र सूरजी
10. अजीत पुत्र दयानन्द पुत्र सूरजी
11. अनिता पुत्री दयानन्द पुत्र सूरजी
12. सुमित्रा पुत्री दयानन्द पुत्र सूरजी
13. शकुन्तला पुत्री सुरजी
14. अमित पुत्र करणसिंह पुत्र सूरजी
15. अपर्णा पुत्र करणसिंह पुत्र सूरजी
16. लीलाराम पुत्र बसन्ती
17. रामान्नद पुत्र बसन्ती
18. हनुमान पुत्र बरान्ती पुत्री पार्वती उर्फ पारली
19. सविता उर्फ सुबेद पुत्री बसन्ती पुत्री पार्वती उर्फ पारली
20. मूर्ति पुत्री बसन्ती पुत्री पार्वती उर्फ पारली
    समस्त जाति अहीर निवासी दहमी पोस्ट कांकड दोजा तहसील बहरोड, जिला अलवर राजस्थान।

–रेस्पोडेन्ट्स

संभागीय आयुक्त
जयपुर

21. रामसिंह पुत्र श्री सूरजभान, जाति अहीर निवासी ग्राम मोहनपुरा, जोधपुरा, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान।
22. शांति पुत्री सूरजभान पत्नि श्री रामनिवास जाति अहीर निवासी ग्राम शाहपुर गुंता तहसील बानसूर जिला अलवर।
23. ईमरती पुत्री सूरजभान पत्नि श्री बस्तीराम जाति अहीर निवासी ग्राम हमीदपुर तहसील बहरोड, जिला अलवर।
24. संतोष पुत्री सूरजभान पत्नि श्री थावरमल जाति अहीर निवासी ग्राम शाहपुर गुंता तहसील बानसूर जिला अलवर।

25. रेवती पुत्री सोहन पत्नि श्री जलेसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम शाहपुर गुंता तहसील बानसूर जिला अलवर ।
26. श्रवण पुत्री सोहन पत्नि श्री प्रकाशचन्द
27. रीता पुत्री श्री कौशल्या पुत्री सोहन पत्नि श्री रामजीलाल
28. रीना पुत्री श्री कौशल्या पुत्री सोहन पत्नि श्री रामजीलाल
29. सरीना पुत्री श्री कौशल्या पुत्री सोहन पत्नि श्री रामजीलाल

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम मंशापुरा, तहसील बानसूर जिला अलवर।

–तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय अति0 जिला कोटपूतली जिला जयपुर अपील संख्या 40/2022 आदेश दिनांक 19.05.2022 के द्वारा ग्राम मोहनपुरा के नामा0 संख्या 35 दिनांक 02.12.1991 को अपास्त करते हुये प्रकरण को तहसीलदार कोटपूतली को प्रतिप्रेषित करने के आदेश प्रदान किये गये हैं।

उपस्थित–

1. श्री मनीष पारीक वकील अपीलान्ट
2. श्री रोशनलाल शर्मा वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3, 4 एवं 5 से 20 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–13.08.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अति0 जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड के निर्णय दिनांक 19.05.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटपूतली के समक्ष तहसीलदार द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 35 ग्राम मोहनपुरा आदेश दिनांक 02.12.1991 को गलत बताते हुये अपील प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 35 ग्राम मोहनपुरा दिनांक 02.12.1991 को निरस्त कर तहसीलदार कोटपूतली को मृतक गिरधारी उर्फ गीदा उर्फ गिदया पुत्र श्योनाथ के सभी जायज वारिसान् तथा प्रभावित पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने के आदेश दिनांक 19.05.2022 को दिये गये।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. अति0 जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 19.05.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट अमर सिंह पुत्र श्री सूरजभान वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर कोटपूतली के निर्णय दिनांक 19.05.2022 को निरस्त कर नामान्तरकरण

संख्या 35 ग्राम मोहनपुरा दिनांक 02.12.1991 को बहाल किये जाने की प्रार्थना की।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

4. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पो0 सख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपुतली के समक्ष नामान्तकरण संख्या 35 ग्राम मोहनपुरा दिनांक 02.12.1991 के विरूद्ध अपील इस आशय की प्रस्तुत की कि आराजी हाल खसरा नम्बर 43/0.27, 158/1.42, 238/0.53, 245/0.22, 372/0.48, 425/0.48, 426/0.22, 804/0.05, 807/0.41, 822/0.68, 466/0.08, 468/0.05, 469/0.16, 470/0.17, 471/0.17, 472/0.21 वाकै मौजा मोहनपुरा के हिस्सा 1/2 के खातेदार गिरधारी पुत्र श्योनाथ थे तथा स्वयं को गिरधारी पुत्र श्योनाथ की तथाकथित बहिने बोहती उर्फ जीवण व पार्वती उर्फ पारली के वारिस बताते हुये गलत तथ्य प्रस्तुत करते हुए 31 वर्ष पश्चात मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की जिस पर प्रथम अपील न्यायालय ने बिना दफा–5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किये विधि विरुद्ध जाकर उपरोक्त अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 35 दिनांक 02.12.1991 तरदीक द्वारा तहसीलदार कोटपुतली को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार कोटपुतली को प्रतिप्रेषित किया।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि नामान्तकरण संख्या 35 निर्णय दिनांक 02.12.1991 गिरधारी पुत्र श्योनाथ के अविवाहित फोत होने के पश्चात उनके प्रथम वर्ग के वारिस जिन्दा नही होने के कारण गिरधारी के पिता श्योनाथ के भाई महादेव के लडके सुरजभान, सोहनलाल पुत्रान महादेव के नाम विरासत नागान्तकरण दर्ज कर तहसीलदार कोटपुतली के द्वारा तस्दीक किया गया। नामान्तकरण संख्या 35 मे दर्ज खातेदारी मे गिरधारी पुत्र श्योनाथ का विरासत इन्तकाल दर्ज किये जाने के उपरान्त सुरजभान पुत्र महादेव की मृत्यु होने पर उनका विरासत इन्तकाल जरिये नामान्तरकरण संख्या 131 ग्राम मोहनपुरा अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट रामसिंह पुत्र सुरजभान व उनकी पत्नि जडावली पत्नि सुरजभान के नाम दिनांक 07.04.2000 को ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया तथा सोहन पुत्र महादेव द्वारा उपरोक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रेवती पत्नि जिले सिंह व लक्ष्मी देवी पत्नि रामजीलाल को दिनाक 26.08.2004 को बैचान कर दिया जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 266 ग्राम मोहनपुरा केतागण रेवती देवी व लक्ष्मी देवी के नाम दर्ज हुआ। इस प्रकार नामान्तकरण संख्या 35 के द्वारा राजस्व रिकार्ड की स्थिति में परिवर्तन आ चुका है। इसलिए रिकार्ड में परिवर्तन होने के पश्चात नामान्तकरण संख्या 35 के विरूद्व अपील चलने योग्य नही थी। रेस्पो0 नम्बर 1 महावीर नामान्तकरण संख्या 35 ग्राम मोहनपुरा के अन्तर्गत पक्षकार नही थे ना ही उनके विरूद्व नामान्तरकरण तस्दीक किया गया था। परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 महावीर द्वारा ना तो प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुमती प्राप्त की ना ही प्रथम अपील न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को नामान्तरकरण संख्या 35 ग्राम मोहनपुरा के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वीकृ ती प्रदान की। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 महावीर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 35 निर्णय दिनांक 02.12.1991 के विरूद्व 31 वर्ष पश्चात

अपील प्रस्तुत की। कानूनन उपरोक्त अपील की सुनवाई से पूर्व दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित कर अपील का निस्तारण किया जाना चाहिये था। परन्तु प्रथम अपील न्यायालय ने बिना दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को पहले निस्तारित किये बिना ही उपरोक्त अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 35 ग्राम मोहनपुरा को निरस्त करने की भारी भूल की है। गिरधारी पुत्र श्योनाथ के कोई जायन्दा सगी बहिन नहीं थी तथा ना ही उनके प्रथम व द्वितीय वर्ग के वारिस थे परन्तु बिना कोई दस्तावेजी साक्ष्य के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को गिरधारी पुत्र श्योनाथ का वारिस मानते हुए तथा गिरधारी के पार्वती व बोहती दो बहिने होना स्वीकार करते हुए उपरोक्त नामान्तकरण निरस्त किये जाने की भूल की है। पक्षकारान के अधिकारो का निर्णय नामान्तरकरण की कार्यवाही में नही होकर नियमित वाद में ही किया जा सकता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसे कानूनी बिन्दू की अवहेलना करते हुए उपरोक्त नामान्तरकरण निरस्त करने की भारी भूल की है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर गौर किये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर कोटपूतली दिनांक 19.05.2022 को निरस्त कर नामान्तरकरण संख्या 35 ग्राम मोहनपुरा दिनांक 02.12.1991 को बहाल किया जावे।

5. रेस्पोडेण्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के अनुसार किसी निर्वसीयती हिन्दू पुरूष की मृत्यु उपरान्त यदि उसके प्रथम श्रेणी के वारिस न हो तो द्वितीय श्रेणी के वारिसों में उक्त मृतक की संपत्ति न्यायसंगत होगी। द्वितीय श्रेणी के वारिसों में मृतक व्यक्ति का पिता द्वितीय श्रेणी के प्रथम वर्ग का वारिस होगा तथा मृतक के पिता के भाइयों के पुत्र द्वितीय श्रेणी के वारिसों की सूची में नहीं है। मृतक के भाई अथवा बहिन उक्त श्रेणी के तीसरे वर्ग में वारिस है। जबकि मृतक के भाई अथवा बहिन के पुत्र व पुत्री पांचवें वर्ग के वारिस है। हस्तगत प्रकरण में मृतक गिरधारी पुत्र श्योनाथ के प्रथम श्रेणी का कोई वारिस नहीं था तथा द्वितीय श्रेणी में भी वर्ग 01 लगायत 02 में वर्णित कोई वारिस नहीं होने से मृतक की बहिनें बाहेती उर्फ जीवण व पार्वती उर्फ पारली द्वितीय श्रेणी के तीसरे वर्ग में वारिस होने के कारण मृतक गिरधारी की समस्त सम्पत्ति की विधिक वारिस थी । मृतक गिरधारी पुत्र श्योनाथ की विरासत का नामान्तकरण मृतक की बहिनें बाहेती उर्फ जीवण व पार्वती उर्फ पारली के हक में स्वीकृत किया जाना चाहिए था जो अवैधानिक रूप से अपीलार्थी के पूर्वज सूरजभान व सोहनलाल पुत्रान् महादेव के नाम दर्ज कर दिया गया जो कि प्रारम्भतः ही शून्य है। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली द्वारा उचित रूप से उक्त नामान्तकरण को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार कोटपूतली को मृतक गिरधारी उर्फ गीदा उर्फ गिदया पुत्र श्योनाथ के सभी जायज वारिसान् तथा प्रभावित पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने के आदेश दिनांक 19.05.2022 को दिये गये। जो कि उचित एवं विधिसम्मत है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील को अन्दर मियाद मानते हुए ही निर्णय पारित किया गया है तथा उक्त निर्णय में मियाद अधिनियम के विधिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के संबंध में आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 मृतक गिरधारी की बहिन पार्वती की पुत्री के पुत्र है तथा वह अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 35 से पूर्णतया व्यथित व पीड़ित है तथा उसे उक्त नामान्तकरण के विरूद्ध अपील करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अपील को श्रवण योग्य पाये जाने पर उक्त अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया है। इसके बावजूद उनके द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है तथा अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थीगण द्वारा किया गया स्वयं का कथन ही उनकी अपील को विधि विरूद्ध साबित करता है तथा यह अपील खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील खारिज फरमाई जावें। अपीलार्थीगण का यह कथन स्वयं उनके विरोधाभाषी है क्योंकि उनके अनुसार मृतक गिरधारी के प्रथम व द्वितीय श्रेणी का कोई वारिस नहीं था तो उनके पूर्वज सूरजभान के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 35 किस आधार पर स्वीकृत किया गया था । इस प्रश्न का अपीलार्थीगण के पास कोई उत्तर नहीं है तथा उनकी अपील उनके उपर्युक्त कथन के आधार पर ही खारिज किये जाने योग्य है। जहां तक मृतक गिरधारी के जाइंदा सगी बहन होने अथवा न होने का प्रश्न है, इसका निस्तारण समुचित सुनवाई के उपरान्त ही किया जा सकता है। नामान्तकरण संख्या 35 विधि विरूद्ध होने से उसके द्वारा मृतक गिरधारी के खातेदारी अधिकारों का कतई हस्तान्तरण नहीं हुआ है तथा उक्त नामान्तकरण प्रथमतः ही शून्य व बेअसर है। इस प्रकार नामान्तकरण संख्या 35 के आधार पर किये गये आगामी हस्तान्तरण भी शून्य व बेअसर है तथा नामान्तकरण संख्या 35 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने में कोई बाधक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट है कि मृतक गिरधारी की वास्तविक विरासत का निर्णय साक्ष्य सबूत लिया जाकर तथा समस्त प्रभावित पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात ही किया जा सकता है। ऐसी सूरत में अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटपूतली द्वारा विधिवत् ही अपीलाधीन आदेश पारित किये गये हैं। जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। अपीलांट के कथनानुसार दफा–5 के अंकित कथनो पर विश्वास करते हुये अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने से नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद मृतक खातेदार गिरधारी उर्फ गीदा पुत्र श्योनाथ की विरासत को लेकर है। तहसीलदार कोटपूतली द्वारा मृतक खातेदार गिरधारी उर्फ गीदा पुत्र श्योनाथ के अविवाहित फौत होने पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 35 मृतक के पिता के भाईयों के वारिसों (पंचम श्रेणी) सूरज व सोहन पुत्रान् महादेव के नाम

तस्दीक किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 35 ग्राम मोहनपुरा दिनांक 02.12.1991 को निरस्त कर तहसीलदार कोटपूतली को मृतक गिरधारी उर्फ गीदा उर्फ गिदया पुत्र श्योनाथ के सभी जायज वारिसान् तथा प्रभावित पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने के आदेश दिनांक 19.05.2022 को दिये गये। इस संबध में हमारा विनम्र मत है कि नामान्तरकरण संख्या 35 में मृतक खातेदार गिरधारी उर्फ गीदा पुत्र श्योनाथ की विरासत पंचम श्रेणी में सूरज व सोहन पुत्रान् महादेव के नाम दर्ज की गई है। रेस्पोडेण्ट्स द्वारा मृतक खातेदार गिरधारी उर्फ गीदा के द्वितिय श्रेणी की वारिस दो बहिन पार्वती व बोहती का होना जाहिर करते हुये स्वयं को पार्वती व बोहती का वारिस बतलाते हुये आपत्ति की है। कानूनन विरासत का नामान्तरकरण समस्त विधिक वारिसान् के नाम ही तस्दीक किया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटपूतली द्वारा प्रकरण तहसीलदार कोटपूतली को गिरधारी उर्फ गीदा की विरासत के संबंध में समस्त जायज वारिसान् को सुनवाई का अवसर देते हुये प्रतिप्रेषित ही किया है जो कि उचित एवं विधिसम्मत है। अपीलार्थीगण तहसीलदार के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र हैं। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटपूतली का निर्णय दिनांक 19.05.2022 यथावत रखा जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 13.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।